



TO BE PUBLISHED IN GAZETTE OF INDIA PART-III, SECTION 4

File No. NRC/NCTE/Recognition/D.El.Ed./2016

1902807-3467

Date: 13/08/16

RECOGNITION ORDER

WHEREAS in terms of section 14(1)/15(1) of the NCTE Act, 1993, the institutions had submitted applications to the Northern Regional Committee of NCTE for grant of recognition/permission for Teacher Education Courses.

2. AND WHEREAS on scrutiny/perusal, veracity of the facts & figures as per the application submitted by the institutions mentioned in table below, the documents attached therewith, the affidavit and the input received from the visiting team in the form of visiting team report including videography and also the reply submitted by the institution against decision of clause 7(13) of the NCTE Regulations, 2014, the Northern Regional Committee in its meeting held from time to time (mentioned against each of the institution) is satisfied that the institution/society fulfils the requirements under the provisions of NCTE Act, Rules and relevant Regulations including the Norms and Standards for the concerned Teacher Education Programme such as instructional facilities, infrastructural facilities, library, accommodation, financial resources, laboratory, etc. for running the programme and has selected/appointed duly qualified teaching staff as per NCTE norms and as per the approval of faculty given by the affiliating bodies.

3. NOW, THEREFORE, in exercise of the powers vested under Section 14(3)(a)/15(3)(a) of the NCTE Act, 1993, the Northern Regional Committee hereby grants recognition/permission to the following institutions for conducting Teacher Education programme with an annual intake mentioned against their names from the academic session 2016-2017 under clause 7(16) of NCTE (Recognition Norms & Procedure) Regulations, 2014 subject to fulfilment of the conditions mentioned below

S. No.	File No.	Name of the Institutions	Course	Duration	Approved annual intake	Meeting	Name of Affiliating Body
1.	NRCAPP-15147	Sri Gangotri Bankelal Degree College, Plot No.-45, Street No.-45, Village-Harsinghpur, Post Office-Madaripur, Tehsil/Taluka- Jalaun, Town/City- Jalaun, District-Jalaun-285130, State- Uttar Pradesh	D.El.Ed. (Addl.)	2 Years	50 (1 unit)	250 (Part-8)	SCERT, Nishatganj, Lucknow, U.P.
2.	NRCAPP-15485	Babu Mangala Rai Smarak Sansthan, Plot No. 112, Village-Anaura, Post Office-Pandaha, Tehsil /Taluka-Lalganj, Town/City Azamgarh, District-Azamgarh-276201, State- Uttar Pradesh	D.El.Ed.	2 Years	50 (1 unit)	250 (Part-9)	SCERT, Nishatganj, Lucknow, U.P.

143328	163	NRCAPP-13886	Mirzapur (UP), Pin Code 231305 Maharshi Shandilya Prasthikshan Sansthan Jagdishpur Gauriganj Amethi UP, Plot Number/Khasara No. 236, Street/Road-0, Village/Town/City-Jagdishpur, Post Office- Gauriganj, Tehsil/Taluka-Gauriganj, Town/City-Gauriganj, District-Sultanpur (UP), State- Uttar Pradesh, Pin Code-227409	D.El.Ed.	2 Years	One Unit (50 Students)	250 Part-XI	SCERT, Lucknow, Uttar Pradesh
143327	164	NRCAPP-13931	Aryaa Smt. Dulari Singh College of Education & Research, Plot Number- 748, Street/Road-Maharchha, Village/Town/City-Maharchha, Post Office-Janghai-Bazar, Tehsil/Taluka-Handiya, Town/City-Handiya, State-UP, District-Allahabad (UP), Pin Code-	D.El.Ed.	2 Years	Two Unit (100 Students)	250 Part-XI	SCERT, Lucknow, Uttar Pradesh

कार्यालय ज्ञाप

शासनादेश 90 1875/IS-11-2016 शिक्षा अनुभाग-11 लखनऊ दिनांक 19.09.2016 द्वारा निर्जी संस्थ महर्षि साण्डिल्य प्रशिक्षण संस्थान प्लॉट नं०- 236 जगदीशपुर गौरीगंज अमेठी को शासन द्वारा समयक विलारोपर राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा दो वर्षीय बी०टी०सी० पाठ्यक्रम के संचालन हेतु दी गयी मान्यता विषयक नि आदेश में अंकित शर्तों तथा निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन शैक्षिक सत्र 2016-17 से एक यूनिट (50 सीट) की सम्बद्धता प्रदान की जाती है:-

- (1) संस्थान द्वारा लगातार प्राप्त एवं सुरक्षित कोष को राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा समय-समय सम्बन्धित मानकों के अनुसार नवीनीकृत एवं राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के पक्ष में बन्धक रखना होगा।
- (2) जिन मानकों एवं शर्तों के अधीन राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा मान्यता एवं राज्य सरकार द्वारा सम्बद्धीकरण दिया गया है उसमें राज्य सरकार की पूर्वानुमति के बिना संस्थान द्वारा कोई परिवर्तन नहीं कि जायेगा। संस्थान पर एन०सी०टी०ई० तथा राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर बनाए जाने वाले नियम ला होंगे।
- (3) नेशनल बिल्डिंग कोड के अनुसार भवन की उपयुक्तता एवं अग्निशामन से सम्बन्धित उपकरणों को संस्थान द्वारा मानकों के अनुसार सदैव सुनिश्चित किया जायेगा।
- (4) प्रशिक्षणार्थियों हेतु राज्य सरकार द्वारा निर्धारित की गयी प्रवेश प्रक्रिया, आरक्षण के निचम, परीक्षा गुल्क, अ कोई भी चार्ज, परीक्षा की समय-सारिणी तथा पाठ्यक्रम संस्थान पर बाध्यकारी होगा।
- (5) सम्बद्धता निर्गत होने के दो माह की अवधि में राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के मानक के अनुसार विधिवत तयनित संकाय सदस्यों का अनुमोदन सचिव, परीक्षा नियामक प्राधिकारी, उ०प्र०, इलाहाबाद से प्राप्त किया जान सुनिश्चित किया जाना होगा। संकाय सदस्यों के बायोडाटा एवं अन्य सम्बन्धित प्रमाण पत्रों तथा अन्य सूचनाओं को अनुमोदन हेतु सचिव, परीक्षा नियामक प्राधिकारी, उ०प्र०, इलाहाबाद को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किय जायेगा। यह अभिलेख स्थायी होंगे, जिन्हें सचिव, परीक्षा नियामक प्राधिकारी, उ०प्र०, इलाहाबाद तथा जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान द्वारा स्थायी रूप से रखा जायेगा।
- (6) संस्थान द्वारा अपनी वेबसाइट राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद की वेबसाइट के साथ डाइजिटलिक की जायेगी तथा अपेक्षित सूचनाओं का उल्लेख वेब-साइट पर किया जायेगा।
- (7) प्रथमतः संस्थान को राज्य स्तरीय समिति की बैठक दिनांक 09.06.2016 से 10.06.2016 के कार्यवृत्त में की गयी संस्तुति के आधार पर बी०टी०सी० पाठ्यक्रम के संचालन हेतु शैक्षिक सत्र 2016-17 से एक यूनिट (50 सीट) की सम्बद्धता प्रदान की जा रही है।

उपरोक्त सम्बद्धता भूमि भवन आदि के सम्बन्ध में एन०सी०टी०ई० के दिशा निर्देशों के अधीन होगी।

श्रीमती (नीना श्रीवास्तव)

सचिव

परीक्षा नियामक प्राधिकारी

उ०प्र०, इलाहाबाद

90सं० / सम्बद्धता/ 11/20-27

/2016-17 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित -

1. सचिव, बेसिक शिक्षा, उ०प्र०, शासन लखनऊ।
2. विशेष सचिव, बेसिक शिक्षा, उ०प्र० शासन, शिक्षा अनुभाग -11 लखनऊ।
3. निदेशक, राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद उ०प्र०, लखनऊ।
4. शिक्षा निदेशक, बेसिक, उ०प्र०, लखनऊ।
5. क्षेत्रीय निदेशक, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद, उत्तर क्षेत्रीय समिति, चतुर्थ तल, जीवन निधि-II, एल०आई०सी० बिल्डिंग, भवानी सिंह मार्ग, अम्बेडकर सर्किल, जयपुर-302005 (राजस्थान)।
6. प्राचार्य, जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान, अमेठी।
7. प्रबन्धक/सचिव, महर्षि साण्डिल्य प्रशिक्षण संस्थान प्लॉट नं०- 236 जगदीशपुर गौरीगंज अमेठी।
8. गार्ड फाइल।

श्रीमती (नीना श्रीवास्तव)

सचिव

परीक्षा नियामक प्राधिकारी

उ०प्र०, इलाहाबाद